फाइल सं. एस-35017/03/2022एसएस-II
भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई, 2022

आदेश

जबकि मैसर्स पंजाब खादी मंडल, कोड सं. पीएन/1041 (इसमें इसके बाद प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना सं. एस-35015/4/94-एसएस-II के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन दिनांक 1.01.1993 से छूट प्रदान की गई थी;

2. और जबकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दिनांक 18.01.2022 के पत्र के माध्यम से निम्नलिखित उल्लंघनों के लिए प्रतिष्ठान को इस प्रकार प्रदान की गई छूट को निरस्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था; नामत:-

(i) प्रतिष्ठान ने वर्ष 2014 से 2018 तक की अवधि के दौरान अधिसूचित निवेश प्रतिमान का अनुसरण नहीं किया है तथा इसलिए इसने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (इसमें इसके बाद योजना के रूप में संदर्भित) के पैरा 27एए के परिशिष्ट-क की शर्त सं. 17 का निरंतर उल्लंघन किया है;

(ii) प्रतिष्ठान ने लगातार दो या उससे अधिक वित्तीय वर्षों के लिए एक ही लेखा-परीक्षक को नियुक्त किया है। अत:, प्रतिष्ठान ने योजना के पैरा 27एए के परिशिष्ट क की शर्त सं. 24(ग) का उल्लंघन किया है;

(iii) प्रतिष्ठान भविष्य निधि की संचित निधि अपेक्षित समयावधि के भीतर न्यासी बोर्ड को अंतरित करने में विफल हुआ है, जो योजना के पैरा 27एए के परिशिष्ट क की शर्त सं. 5 का उल्लंघन है; तथा

(iv) प्रतिष्ठान ने अपने सदस्यों को भविष्य निधि खाते तक पहुंच और ऑनलाइन दावा निपटान के लिए ऑनलाइन सेवा प्रदान नहीं की है, जो योजना के पैरा 27एए के परिशिष्ट क की शर्त सं. 15 का उल्लंघन है;

3. तथा जबकि, योजना के पैरा 27एए के अंतर्गत निर्धारित छूट की मंजूरी को शासित करने वाली शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा प्रतिष्ठान को दिनांक 22.03.2019 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

4. और जबकि, प्रतिष्ठान ने दिनांक 29.03.2019 के पत्र द्वारा, दिनांक 22.03.2019 के कारण बताओ नोटिस के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा इसकी जांच की गई और पाया गया कि योजना के पैरा 27कक के अंतर्गत यथा निर्धारित छूट प्रदान करने की शर्तों के उल्लंघन के कारण प्रतिष्ठान से प्राप्त उत्तर अस्वीकार्य है;

5. और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (4) के अनुसार, यदि कोई नियोक्ता अनुपालन करने में विफल होता है, तो धारा 17 के अंतर्गत मंजूर की गई कोई छूट इसे मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा, लिखित आदेश द्वारा इसकी उप-धारा (1) के अंतर्गत मंजूर की गई किसी छूट के मामले में उस उप-धारा के अंतर्गत आरोपित किसी शर्तों के साथ निरस्त की जा सकती है;

.....2/-

6. और जबकि, प्रतिष्ठान को उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छूट की मंजूरी दी गई थी तथा इस आदेश के पैराग्राफ 2 में यथावर्णित योजना के पैरा 27कक के अंतर्गत निर्धारित छूट की मंजूरी को शासित करने वाली शर्तों का उल्लंघन किया गया है;

7. इसलिए अब, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, प्रतिष्ठान को उक्त छूट को मंजूरी देने वाले प्राधिकारी की हैसियत से, यह आदेश जारी करने की तारीख को तथा इस तारीख से प्रतिष्ठान को इस प्रकार मंजूर छूट को एतद्वारा निरस्त करती है।

स. कु. दास

(समीर कुमार दास)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

(1) प्रबंध निदेशक,
मैसर्स पंजाब खादी मंडल
ग्राम आदमपुर, दोआबा
जालन्धर – 144102

(2) न्यासी बोर्ड,
मैसर्स पंजाब खादी मंडल
ग्राम आदमपुर, दोआबा
जालन्धर – 144102

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:- केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।

F. No. S-35017/03/2022-SS-II
Government of India
Ministry of Labour and Employment

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi, dated 4th July,
2022

ORDER

Whereas M/s Punjab Khadi Mandal, bearing Code No. PN/1041 (hereinafter referred to as the Establishment) was granted exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) w.e.f. 1.01.1993 by the Central Government vide notification no. S-35015/4/94-SS-II, subject to the conditions specified in this regard from time to time;

2. And whereas the Employees' Provident Fund Organisation vide letter, dated 18.01.2022 submitted a proposal for cancellation of exemption so granted to the establishment for the following violations; namely:-

(i) The Establishment has not followed the Notified Investment Pattern during the period 2014 to 2018 and hence has violated Condition No. 17 of Appendix-A of Para 27AA of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as Scheme) continuously;

(ii) The Establishment has appointed the same auditor for two or more consecutive Financial Years. Hence, the Establishment has violated the Condition No. 24(c) of Appendix A to Para 27AA of the Scheme;

(iii) The Establishment has failed to transfer PF accumulation within stipulated time period to the Board of Trustees, which is violation of Condition No. 5 of Appendix A to Para 27 AA of the Scheme; and

(iv) The Establishment has not extended online facility to their members for PF Account access and online claim settlement, which is violation of Condition No. 15 of Appendix A to Para 27AA of the Scheme;

3. And whereas, a show cause notice, dated 22.03.2019 was issued to the Establishment by the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) r/o violation of the conditions governing grant of exemption laid down under Para 27AA of the Scheme;

4. And whereas, the Establishment vide letter, dated 29.03.2019, has furnished its comments in r/o Show Cause Notice, dated 22.03.2019. The same were examined by the Employees' Provident Fund Organisation and found that the response received from the Establishment is un-acceptable due to violation of conditions for grant of exemption as laid down under Para 27AA of the Scheme;

5. And whereas, as per sub-section (4) of section 17 of the said Act, any exemption granted under section 17 may be cancelled by the authority which granted it, by order in writing, if an employer fails to comply, in the case of an exemption granted under sub-section (1) thereof with any of the conditions imposed under that sub-section;

6. And whereas, the Establishment was granted exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act and has violated the conditions governing grant of exemption laid down under Para 27AA of the Scheme, as enumerated at paragraph 2 of this Order;

7. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 17 of the said Act, the Central Government, being the authority who granted the said exemption to the Establishment, hereby cancels the exemption so granted to the Establishment on and from the date of issue of this Order.

Digitally Signed by Samir Kumar Das
Date: 04-07-2022 12:59:37
Reason: Approved

(Samir Kumar Das)
Under Secy to the Govt. of India

To

(1) The Managing Director,
M/s Punjab Khadi Mandal
Vill Adampur, Doaba
Jalandhar -144102

(2) Board of Trustees,
M/s Punjab Khadi Mandal
Vill Adampur, Doaba
Jalandhar -144102

Copy for information to:- The Central Provident Fund Commissioner, Employees' Provident Fund Organization, Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi.